प्रेस विज्ञप्ति

नौएडा के विभिन्न सैक्टरो में चयनित वैण्डिग जोनो में सत्यापित वैण्डर्स को समूचित रूप से सुव्यवस्थित किये जाने हेतु की गई कार्यवाही का विवरण।

- प्रथम चरण में 5 दिनों के ड्रा में वर्क सर्किल 1 एवं 3 से 9 के क्षेत्रो में कुल निर्धारित 60 जोनो में कुल 2472 सत्यापित पथ विक्रेताओ का ड्रा के माध्यम से चयन किया गया है।
- सफल पथ विक्रेताओं को पत्र प्रेषित किये जा चुके है।
- उक्त में से 2211 पथ विक्रेताओ के द्वारा चालान बनावाये गये है।
- जिन पथ विक्रेताओ के द्वारा जमा चालान वर्क सर्किलो को उपलब्ध करा दिये गये है उन को पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र भी उपलब्ध करा दिये गये है।
- प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र धारक पथ विक्रेताओ को निर्धारित वैण्डिंग जोनो में स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है जो कि एक सप्ताह में पूर्ण करने हेतु सभी वर्क सर्किलो को निर्देशित कर दिया गया है। तथा सभी पथ विक्रेताओ को सफाई एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
- दूसरे चरण में वर्क सर्किल 1,2 व 8 के क्षेत्रो में कुल निर्धारित 29 जोनो में कुल 862 पथ विक्रेताओ का ड्रा के माध्यम से चयन किया गया है।
- दूसरे चरण के सफल आवेदको को स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही फरवरी माह में पूर्ण कर ली जयेगी।
- सभी वर्क सर्किलो को निर्देशित कर दिया गया है कि वैण्डर्स को जहा से हटाया जा रहा है उस स्थान पर किसी भी दशा में पुनः अवैद्य रूप से अन्य कोई वैण्डर स्थापित न हो।
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी महादेया द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 5 फरवरी तक जिन वैण्डर्स द्वारा शुल्क जमा नही किया जाता है उनका आबंटन निरस्त कर दिया जाये।